संख्या- 14 / 2017 /2372 / चार-2016-17 (बजट)/2012

प्रेषक,

जगदीश प्रसाद
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 20 जनवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में "यश भारती सम्मान" हेतु द्वितीय अनुपूरक मॉग से प्राविधानित धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1994/सं0नि0-15(यश भारती)/2016-17 दिनांक 03 नवम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में "यश भारती सम्मान" हेतु शासनादेश संख्या-131/2016/1051/चार-2016-17(बजट)/2012 दिनांक 26 जुलाई, 2016 द्वारा रू0 350.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। तद्नुक्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय अनुपूरक मॉग के माध्यम से रू0 500.00 लाख (रूपये पॉच करोड मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त शासनादेश संख्या-131/2016/1051/चार-2016-17(बजट)/2012 दिनांक 26 जुलाई,2016 में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध /शर्ते आदि यथावत रहेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्ध-04-"यश भारती सम्मान"-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

4 - वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

5- यह भी उल्लेख करना है कि विधान सभा चुनाव-2017 के मद्देनजर प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाने के फलस्वरूप "यश भारती सम्मान" की स्वीकृत धनराशि के संबंध में यदि आवश्यक हो तो परीक्षण करके अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें

भवदीय,

(जगदीश प्रसाद)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- 14 / 2017/ 2372 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

6 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री।

7 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।